न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 30 / 18–19

मुंजय कुमार शशि बनाम् रैयान मौजा–खानीचक नं0–105

–: आदेश :–

.11.2022

वर्तमान प्रधान नियुक्ति की प्रक्रिया आवेदकगण मुंजय कु0 शशि, पे0–स्व0 नरेश प्रसाद राम, मो0 शकुन्तला देवी, पति–स्व0 नरेश प्र0 राम एवं प्रवीण कु0 राम, पे0–स्व0 नरेश प्रसाद राम, सभी सा0–खानीचक, अंचल–ठाकुरगंगटी, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–खानीचक नं0–105 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है।

आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदकगण द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक–264 / रा0, दिनांक–25.06.2022 से प्राप्त है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि अंतिम नियुक्त प्रधान स्व0 नरेश प्र0 राम थे, जिनकी मृत्यु दिनांक–19.09.2018 को हुई है। आवेदिका शकुन्तला देवी पूर्व नियुक्त प्रधान की पत्नी है, जबकि आवेदकगण मुंजय कु0 शशि एवं प्रवीण कु0 राम पूर्व नियुक्त प्रधान के क्रमशः द्वितीय एवं सबसे छोटे पुत्र हैं।

उक्त के आलोक में दिनांक–25.11.2022 को मौजा–खानीचक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष ग्राम सभा में उपस्थित रैयतों में से मात्र 05 रैयतों को छोड़कर सभी रैयतों द्वारा आवेदिका शकुन्तला देवी को प्रधान नियुक्ति हेतु सहमति दिया गया।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जांच प्रतिवेदन एवं दिनांक–25.11.2022 को आयोजित ग्राम सभा के आधार पर आवेदिका शकुन्तला देवी, पति–स्व0 नरेश प्रसाद राम, सा0–खानीचक, थाना– मेहरमा, अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–खानीचक नं0–105 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

(ह0) 26.11.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

(ह0) 26.11.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.01 12:35:55 +05:30
Location: 192.168.8.115

Scanned with OKEN Scanner